

सूचना

विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना सं.2625/बी.बी.ए.यू./18 दिनोंक 13.03.2018 के अनुसार मनोनीत सभी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि उनके अधीन सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त सभी लम्बित आवेदनों एवं अपीलों का निस्तारण जल्द से जल्द करें। आवेदन के संबंध में जो भी सूचना उपलब्ध है तत्काल आवेदक को उपलब्ध करायें।

इसके साथ यह भी अनुरोध किया जाता है कि वांछित सूचना में से कुछ अथवा समस्त सूचना किसी अन्य केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध होने की दशा में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6 (3) के अंतर्गत आवेदन की एक प्रति को 05 दिनों के भीतर आवेदक को सूचित करते हुए संबन्धित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को अग्रसारित करना सुनिश्चित करें।

यदि प्राप्त आवेदनों एवं अपीलों का संबंधित केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा निस्तारण नहीं किया गया है तो आवेदक केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली में द्वितीय अपील कर सकता है। अतएव इस संबंध में संबंधित केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी ही केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील की सुनवाई के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे।


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. समस्त जन सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी, बी.बी.ए.यू. लखनऊ।
2. विश्वविद्यालय वेबसाइट, बी.बी.ए.यू. लखनऊ।
3. अनुभाग अधिकारी, कुलपति सचिवालय, बी.बी.ए.यू. लखनऊ को सूचनाार्थ।


कुलसचिव